:: न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा जिला झालावाड़ (राज.) ::

पीठासीन अधिकारी : **लक्की सोनी, आर.जे.एस.**
नि.फौ.प्र.सं. : 311/2016
सीआईएस नं : 1165/2016
सीएनआर नं : **RJJW08-000370-2016**

राजस्थान राज्य

--------अभियोगी

बनाम

1. सीताराम पुत्र कालूलाल उम्र 32 साल निवासी कंवरपुरा पुलिस थाना घाटोली जिला झालावाड (राज.)

------अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.सं.

उपस्थित:-

01. अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
02. श्री भागचंद मीणा अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक:-19-03-2026**

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि दिनांक 05.08.16 को न्यायालय श्रीमान एमजेएम कोर्ट अकलेरा से फरियादिया श्रीमती राजूबाई पुत्री रतनलाल पत्नि सीताराम उम्र 24 साल निवासी सागोडिया थाना भालता जिला झालावाड द्वारा पेश किया हुआ इस्तगासा विरूद्ध आरोपीगण 1. सीताराम पुत्र कालूलाल 2. कालूलाल पुत्र चन्दालाल 3. प्रेमबाई पत्नि कालूलाल निवासीगण कंवरपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड के इस आशय का प्राप्त हुआ कि प्रार्थीया का विवाह 7-8 साल पहले बोरखेडी थाना भालता में मामाजी के यहां से हुआ था। प्रार्थीया की गौना की रस्म पुरी कर आती जाती कर दी थी। आरोपीगण प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने लगे तथा कहते कि तेरे बाप ने शादी में कुछ भी नहीं दिया हैं। बाप के यहां से एक लाख रूपये व एक मोटरसाईकिल लेकर आवेगी तो ही रखेंगे। प्रार्थीया को दहेज की मांग कर प्रताडित कर घर से भगा दिया व प्रार्थीया का दहेज का सामान स्त्रीधन हडप कर लिया हैं, ...इत्यादि

02. उक्त रिपोर्ट पर मु.नं. 118/2016 अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.सं. दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

03. **अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची**

अभियोजन साक्षीगण

रैंक	नम
पी.डब्ल्यू–1	राजूबाई
पी.डब्ल्यू–2	रतनलाल
पी.डब्ल्यू–3	मदनलाल
पी.डब्ल्यू–4	सरदार खां

अभियोजन पक्ष के प्रदर्श की सूची

अभियोजन पक्ष

कमांक	प्रदर्श कमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	इस्तगासा
3.	प्रदर्श पी 3	चाक एफआईआर
4.	प्रदर्श पी 4	फर्द जप्ती दहेज सामान

04. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् किया गया, तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया। बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीण)
निल	निल	निल

बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी 2	पुलिस बयान मदनलाल

05 दिनांक 6–02–2026 को फरियादिया एवं अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना से एक राजीनामा का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 406 भा.दं.सं. का पेश किया जिसको बाद जांच तस्दीक किया गया। अभियुक्त को अपराध धारा 406 भा.दं.सं. में जरिए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498 ए भा.दं.सं. का विचारण शेष है। अतः अपराध अंतर्गत धारा 498 ए भा.दं.सं. के संबंध में ही निर्णय पारित किया जा रहा है।

06. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

07. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

08. उभय पक्षकारान के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

01. "क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 28–04–2016 से पूर्व किसी समय ग्राम मौजा कंवरपुरा पुलिस थाना घाटोली में परिवादिया राजूबाई के पति होने के नाते परिवादिया से दहेज के रूप में एक लाख रुपये व एक मोटरसाइकिल की मांग कर मानसिक व शारीरिक यातनाएं देकर प्रताडित किया? ''

02. यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डित हो?

09. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या परिवादिया राजूबाई वैधानिक रूप से अभियुक्त की विवाहित पत्नी है तो इस

संबंध में फरियादिया ने इस्तगासा प्रदर्श पी 1 में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि फरियादिया की शादी अर्सा 7–8 साल पूर्व हस्ब हिन्दू रीति–रिवाज अनुसार ग्राम बोरखेडी थाना भालता में मुलजिम सीताराम के साथ संपन्न हुआ था। इस तथ्य का पत्रावली पर कोई खण्डन नहीं है ना ही इस संबंध में अभियुक्त ने कथन अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत इस तथ्य का खण्डन किया है। ऐसे में परिवादिया अभियुक्त की पत्नी होना प्रतीत होती है।

10. जहां तक अभियुक्त द्वारा परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से दहेज के लिए प्रताडित करने का प्रश्न है तो इस संबंध में गवाह पी.ड.2 राजूबाई के बयानों का अवलोकन करें तो उसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी शादी करीब 15–16 साल पहले सीतारात पुत्र कालू तवंर निवासी कवंरपुरा के साथ उसके मामाजी के गांव बोरखेड़ी से हुई थी। शादी के 03 साल बाद गौणा देकर आती जाती कर दी थी। दहेज मे घर गृहस्थी के सामान बर्तन भांडे हेसियत के अनुरूप दहेज में दिये थे। वह ससुराल गई तो उसका पति उसे दहेज के लिए परेशान करने लगा तथा कहने लगा कि तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया है तु तेरे बाप के यहां से एक मोटरसाईकिल व एक लाख रूपये लाकर दे देगी तो सुखी रखुगां, नहीं तो ऐसे ही मारूगां। उसकी मांग पूरी नहीं करने के कारण उसे मारपीट कर भगा दिया तथा दहेज का सामान मांगने पर भी ही लौटाया। उक्त घटना का परिवाद उसने न्यायालय में पेश किया था जो प्रदर्श पी 01 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह उसके पति सीताराम के साथ रह रही है जो राजी खुशी रह रहे है तथा वह उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही चाहती।

11. फिर गवाह पी.ड.2 रतनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि राजूबाई उसकी लडकी है जिसकी शादी करीब 15–16 साल पहले सीतारात पुत्र कालू तवर निवासी कवंरपुरा के साथ गांव बोरखेड़ी से हुई थी। शादी के 03 साल बाद गौणा देकर आती जाती कर दी थी। दहेज में घर गृहस्थी के सामान बर्तन भांडे हेसियत के अनुरूप दहेज में दिये थे। उसकी लडकी ससुराल गई तो उसका पति उसे दहेज के लिए परेशान करने लगा तथा कहने लगा कि तेरे पिता ने दहेज में कुछ नही दिया है तथा तु तेरे बाप के यहा से एक मोटरसाईकिल व एक लाख रूपये लाकर दे देगी तो सुखी रखुगां, नही तो ऐसे ही मारूगां। उसकी मांग पूरी नही करने के कारण उसकी लड़की को मारपीट कर भगा दिया तथा उसका दहेज का सामान मांगने पर भी नहीं लौटाया। उक्त घटना का परिवाद उसकी लडकी ने न्यायालय में पेश किया था।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसकी लड़की उसके पति सीताराम के साथ रह रही है जो राजी खुशी रह रही है। उसकी लड़की के बच्चे भी सीताराम के साथ रह रहे है। सीताराम पहले नशा करता था नशा करने की वजह से परेशान होकर उसकी लडकी ने सीताराम के खिलाफ यह मुकदमा करा दिया था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि सीताराम ने दहेज की मांग उसके से व उसके सामने कभी नहीं की। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उनके राजीनामा हो गया है तथा वह सीताराम के खिलाफ कोई कार्यवाही नही चाहते है।

12. फिर गवाह पी.ड. 3 मदनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि राजू बाई उसके गांव की है जिसकी शादी करीब 15–16 साल पहले सीतारात पुत्र कालू तवंर निवासी कवंरपुरा के साथ उसके मामाजी के गांव बोरखेड़ी से हुई थी। शादी के बाद राजू बाई उसके पति के पास चली गई थी। शादी के समय उसके माता पिता ने शादी में खाने पीने के बर्तन दिये थे। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि पुलिस ने उससे पुछताछ करी थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी 02 का भाग ए से बी गवाह को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने ऐसे बयान देने से मना किया। इस सुझाव को स्वीकार किया कि सीताराम व राजू बाई का राजीनामा हो गया है तथा वह राजी खुशी रह रहे है। जिरह का अवसर दिए जाने पर भी अधिवक्ता अभियुक्त ने जिरह नही करना जाहिर किया।

13. फिर गवाह पी.ड. 4 सरदार खां ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 06.08.2016 को पुलिस थाना भालता में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन श्रीमति राजूबाई का परिवाद माननीय न्यायालय से अन्वेषण हेतु प्राप्त हुआ। परिवाद से मामला धारा 498ए, 406 भादस का बनना पाये जाने पर मुकदमा नं. 118/2016 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। परिवाद प्रदर्श पी1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी3 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने बयान श्रीमति राजूबाई, रतनलाल, राधाकिशन, मदनलाल, देवीलाल, बदेसिंह उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। आरोपी सीताराम के पेश करने पर परिवादिया का स्त्रीधन जरिये फर्द प्रदर्श पी4 से जप्त किया जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त सीताराम के हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त सीताराम के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भादस का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर बाद कता चार्ज शीट आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में

गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने गवाह के कहेनुसार बयान लेखबद्ध नहीं किये हो तथा झूठी तप्तीश की हो। इस सुझाव को स्वीकार किया कि दहेज का सामान थाने में ही जप्त किया था तथा सामान जप्त करते समय फरियादी पक्ष से बिल नहीं लिये थे।

14. इस प्रकार अभियुक्त पर शेष रहे आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो परिवादिया राजूबाई ने बतौर पी.ड.01 अपनी सशपथ साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि शादी के बाद सीताराम उससे दहेज में एक मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये लाने के लिए परेशान करता था तथा मांग पूरी नही होने पर उसके साथ मारपीट करता था। आगे कथन किया है कि अभियुक्त ने उसे मारपीट कर भगा दिया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि वह उसके पति के साथ राजीखुशी रह रही है तथा वह उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। ऐसे में जहां फरियादिया मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा उसे दहेज के लिए मारपीट कर घर से भगाने बाबत कथन करती है वही जिरह में कथन करती है कि वह अपने पति के साथ राजीखुशी रह रही है। गवाह पीड–2 रतनलाल है जो कि फरियादिया के पिता है जिसने अपने बयानों में यह कथन किया कि जब उसकी लडकी ससुराल गई तो सीताराम उसे दहेज के लिए परेशान करता तथा उससे दहेज में एक मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की मांग करता व नही देने पर उसके साथ मारपीट करता था। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि सीताराम पहले नशा करता था। नशा करने की वजह से परेशान होकर उसकी लडकी ने सीताराम के खिलाफ यह मुकदमा करा दिया था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि सीताराम ने दहेज की मांग उससे व उसके सामने कभी नही की। ऐसे में उक्त गवाह जिरह में पूर्ण रूप से खण्डित रहा है तथा विरोधाभासी कथन करता है एवं नशे की वजह से मुकदमा करना बताया है। गवाह पीड–3 मदनलाल है जो न्यायालय के पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिन्होंने अपने बयानों में यह कथन किया कि राजूबाई की शादी करीब 15–16 साल पहले सीताराम के साथ हुई थी तथा उसे घर गृहस्थी का सामान दिया था इसके अलावा उसे कोई जानकारी नही है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी2 का ए से बी भाग उसके द्वारा नही लिखाया गया है।

15. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को आरोपित अपराध में अभियुक्त के मामले को संदेह से परे साबित करना होता है किंतु हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धाराओं में संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। उपरोक्त समस्त विवेचानुसार प्रकरण में आई साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में यह साबित नही होता है कि

अभियुक्त द्वारा दिनांक 28–04–2016 से पूर्व किसी समय ग्राम मौजा कंवरपुरा पुलिस थाना घाटोली में परिवादिया राजूबाई के पति होने के नाते परिवादिया से दहेज के रूप में एक लाख रुपये व एक मोटरसाइकिल की मांग कर मानसिक व शारीरिक यातनाएं देकर प्रताडित किया

16. उपरोक्त समस्त विवेचानुसार प्रकरण में आई साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में यह साबित नहीं होता है कि क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 28–04–2016 से पूर्व किसी समय ग्राम मौजा कंवरपुरा पुलिस थाना घाटोली में परिवादिया राजूबाई के पति होने के नाते परिवादिया से दहेज के रूप में एक लाख रुपये व एक मोटरसाइकिल की मांग कर मानसिक व शारीरिक यातनाएं देकर प्रताडित किया।

17. अतः अभियुक्त सीताराम पुत्र कालूलाल उम्र 32 साल निवासी कंवरपुरा पुलिस थाना घाटोली जिला झालावाड (राज.) पर आरोपित अपराध धारा 498 ए भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

18. अतः **अभियुक्त सीताराम पुत्र कालूलाल उम्र 32 साल निवासी कंवरपुरा पुलिस थाना घाटोली जिला झालावाड (राज.) पर आरोपित अपराध धारा 498 ए भा0 द 0 सं0 के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त को पूर्व में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।**

19. आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में अपील/रिविजन में उपस्थित रहने के लिए **धारा 437 ए दं.प्र.सं के तहत 10,000/–रुपये की एक जमानत व इसी कदर राशि का स्वंय का मुचलका** न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे। अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

नोट– प्रकरण में फर्द जप्ती सामान परिवादिया को नियमानुसार सुपुर्द किया जावे।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा
जिला झालावाड राज 0

20. निर्णय आज दिनांक 19–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा
जिला झालावाड राज 0

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

SAKSHI CHAWLA
Steno Gr.III
"Authenticate document"
Digitally signed by SAKSHI CHAWLA
Date: 2026.03.24 11:15:23 +0530

नोट:– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।